बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र0 / ऊर्जा DDUGJY–03 / 2015 पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार,वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग कृषि फीडर के निर्माण, वितरण एवं उप संचरण लाईन सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण तथा मीटरीकरण हेतु नॉर्थ / साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 के लिए स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल राशि 5827.23 करोड़ (पाँच हजार आठ सौ सत्ताईस करोड़ तेइस लाख) रूपये का 30 प्रतिशत अर्थात 1748.169 करोड़ (एक हजार सात सौ अड़तालीस करोड़ सोलह लाख नब्बे हजार) रूपये राज्य सरकार की गारंटी पर REC Ltd. से ऋणस्वरूप प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

कृषि कार्य हेतु कृषि फीडर एवं गैर कृषि फीडर को अलग कर 24X7 विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा निर्धारित अवधि में कृषि कार्य हेतु विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उदेश्य की पूर्ति हेतु DDUGJY अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः बड़ी संख्या में शक्ति उपकेन्द्रों का निर्माण, कृषि एवं गैर कृषि फीडर को अलग करना, वितरण एवं उप संचरण का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा मीटरीकरण का कार्य प्रगति पर है।

2. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–2453 एवं 2455 दिनांक–23.08.2015 के द्वारा दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) अंतर्गत नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के लिए क्रमशः 3394.10 करोड़ रूपये एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के लिए 2433.13 करोड़ रूपये अर्थात कुल राशि 5827.23 करोड़ (पाँच हजार आठ सौ सत्ताईस करोड़ तेइस लाख) रूपये की स्वीकृति एवं स्वीकृत योजना का 60 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा नियुक्त नोडल एजेंसी आर०ई०सी० के माध्यम से अनुदान स्वरूप, 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा हिस्सा पूंजी के रूप में एवं 30 प्रतिशत वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण स्वरूप उपलबध कराने की सैद्धांतिक स्वीकृति तथा नये शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण हेतु आवश्यक भू–खण्ड के क्रय में आने वाले वास्तविक व्यय की शत् प्रतिशत प्रतिपूर्ति राज्य योजना से करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3. उक्त आलोक में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग कृषि फीडर के निर्माण, वितरण एवं उप संचरण लाईन सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण तथा मीटरीकरण हेतु नॉर्थ / साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 के लिए स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल राशि 5827.23 करोड़ (पाँच हजार आठ सौ सत्ताईस करोड़ तेइस लाख) रूपये का 30 प्रतिशत अर्थात 1748.169 करोड़ (एक हजार सात सौ अड़तालीस करोड़ सोलह लाख नब्बे हजार) रूपये राज्य सरकार की गारंटी पर REC Ltd. से ऋणस्वरूप प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–7355 दिनांक–05.10.2007 के अनुसार इसमें महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

5. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र0 / ऊर्जा DDUGJY–03 / 2015 के पृष्ठ संख्या–113 / टि0 पर दिनांक–03.03.2020 को प्राप्त है।

6. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र0 / ऊर्जा DDUGJY–03 / 2015 के पृष्ठ संख्या– 116 / टि0 पर दिनांक–04.03.2020 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0 / –
(प्रत्यय अमृत)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र0 / ऊर्जा DDUGJY–03 / 2015 / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र0 / ऊर्जा DDUGJY–03 / 2015 694 / पटना, दिनांक– 04/03/2020

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा / प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना / बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना / उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना / लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना / आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना / अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 / प्रबंध निदेशक, नॉर्थ / साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

E:/Rajneet Jha/F.Y.-2020/Energy Deptt.(Allotments & Others)/A.O & S.O/Sanction Orders